न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/2015

दलीपसिह पुत्र रामसिंह जाति तरखान निवासी 2 ए बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —— **अपीलार्थी**

बनाम

1. निरंजनसिंह पुत्र काकासिंह जाति तरखान निवासी 2 ए बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 15.07.2015

उपस्थितिः—

श्री नरेश कुमार गाबा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 ए बड़ा के मु.नं. 49 के कि.नं. 2 से 4, 7 व 8 में कुल 1.1770 भूमि है एवं अप्रार्थी के नाम से इसी मुरब्बा के कि.नं. 5, 6, 14, 15, 24 व 25 में कुल 1.974 है0 भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थी अपनी भूमि में कि.नं. 24, 17, 14 से होकर आता जाता है जिसे अप्रार्थी ने बंद कर दिया है। प्रार्थी ने खाला के एवज में उक्त रास्ता स्वीकृत कराने के लिए कहा तो वह इन्कार हो गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी ने जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थी मु.न. 49 के कि.न. 22, 19 से पूर्व हिस्सा में चल रहे रास्ता का प्रयोग करता रहा है जो पुराना एवं प्रचलित रास्ता है जिसे स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 15.07.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदित रास्ता को स्वीकृत करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों को आने जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था जिसका उल्लेख अपीलांट ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में किया था। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने 2014 (1) आरआरटी 40 की नजीर पेश की। इसके अलावा कथन किया कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में पटवारी हल्का की दैनिक डायरी पेश की जिसमें यह अंकित है कि कि.नं. 14, 17, 24 के पश्चिमी साईड में न तो कभी रास्ता रहा है और न ही रेस्पो. इस रास्ता से कभी आता जाता है एवं मौतबिरान ने बताया कि कि.न. 12, 19, 22 की पूर्वी साईड से आता जाता था। अधी.न्यायालय ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही रास्ता स्वीकृत किया है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है आवेदित रास्ता से ही रेस्पो. अपनी भूमि में आता जाता है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी एल सी की दुगनी राशि दिलाने के आदेश दिये है। अधी.न्यायालय ने नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.का.अ. स्वीकार कर उसे अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया है। परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा जिस मु.न. 49 में रास्ता स्वीकुत किया गया है उसके सभी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत पेश होना प्रमाणित है इसी अनुरूप दर्ज होकर इसकी कियान्वति हेतु बने नियमों की पालना में अधी.न्यायालय द्वारा रास्ता की आवश्यकता की जांच एवं मुआवजे के बिन्दु पर स्पीकिंग निर्णय दिया है। अतः अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्कता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर